संख्या : 1712/IV(1)/2009-398(कुम्भ)/2009

प्रेषक,

अनूप वधावन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मेलाधिकारी,
हरिद्वार।

शहरी विकास अनुभाग-1 देहरादून : दिनांक : ~~दिसम्बर, 2009~~ 02 जनवरी

विषयः कुम्भ मेला, 2010 की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत GVK EMRI को 108 आपातकालीन सेवा के संचालन हेतु 25 एम्बुलेंस क्रय किए जाने की प्रशासकीय, वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन को सम्बोधित मुख्य संचालन अधिकारी, **GVK EMRI** उत्तराखण्ड के पत्र दिनांक 16.11.2009 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, उक्त संगठनों के प्रस्ताव एवं चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड शासन की प्राप्त संस्तुति के क्रम में **GVK EMRI** को पं. दीन दयाल उपाध्याय देवभूमि 108 आपातकालीन सेवा के अन्तर्गत 25 ऐम्बुलेंसों (18 बड़ी तथा 07 छोटी) के क्रय हेतु रू. 250.00 लाख (दो करोड़ पचास लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति देते हुए, उक्त धनराशि को वित्तीय वर्ष 2009-10 में व्यय किए जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : -

1. उक्त धनराशि को पं. दीन दयाल उपाध्याय देवभूमि 108 आपातकालीन सेवा के अन्तर्गत चिकित्सा विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनतर्गत तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति निमयावली, 2008 में वर्णित प्राविधानों के अनुपालन करते हुए व्यय किया जाएगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का वास्तविक आवश्यकतानुसार किश्तों में आहरण किया जाएगा और पूर्व आहरित धनराशि के पूर्ण उपयोग के बाद ही अगली किश्त का कोषागार से आहरण किया जाएगा।
3. योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों का निकटता से पर्यवेक्षण किया जाए। इसके लिए निगरानी समिति का गठन कर लिया जाए। कार्य पूर्ण होने के बाद इसके गुणवत्ता नियंत्रण के लिए 'थर्ड पार्टी चैकिंग' की व्यवस्था भी की जायेगी और उक्त तृतीय पक्ष से चैकिंग की रिपोर्ट शासन को भी समय-समय पर दी जायेगी। उक्त पर होने वाला व्यय उक्त अनुमोदित लागत से ही वहन किया जायेगा।
4. उक्त कार्य इसी धनराशि से पूर्ण कराये जाने का प्रयास किया जायेगा। कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए, जितनी राशि स्वीकृत की गयी है।
5. चूंकि निविदा में प्राप्त एल-1 निविदा (न्यूनतम निविदा) आधार पर स्वीकृत लागत से कम धनराशि व्यय होना सम्भावित है। अतः न्यूनतम सम्भावित व्यय के अनुसार ही कम धनराशि आहरण की जायेगी तथा आहरित धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि बचत होती है तो उसे तत्काल राजकोष में जमा किया जायेगा।
6. एकमुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व, विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाए।
7. इस हेतु उपकरणों/निर्माण सामग्री क्रय करने हेतु मानकों तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेशों का पालन कड़ाई से किया जाए।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.2010 तक उपयोग करके कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जाएगा।
9. यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि उक्त पूर्ण कार्य या इसके कोई भाग के विषय में यदि कोई धनराशि अन्य विभागीय बजट से स्वीकृत की गई हो तो उसे इस योजना के प्रति बुक करके उस धनराशि को शासन को समर्पित कर दिया जाएगा।

10. मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30 मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन किया जाए।
11. कुम्भ मेला, 2010 की अवधि की समाप्ति के उपरान्त उक्त 25 ऐम्बुलेंसों को मेला क्षेत्र से हटाकर चिकित्सा विभाग/GVK EMRI द्वारा प्रदेश में ऐसे स्थानों में संचालित कराया जाएगा, जहां 108 सेवा अब तक पर्याप्त सुचारू नहीं हो पाई है।
12. उक्त धनराशि का आहरण मेलाधिकारी, हरिद्वार के आहरण वितरण कोड से किया जाएगा।
13. कार्य की गुणवत्ता/समयबद्धता हेतु मेलाधिकारी एवं महानिदेशक, चिकित्सा, उत्तराखण्ड/मुख्य संचालक अधिकारी GVK EMRI पूर्णतया उततरदायी माने जाएंगे।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय शासनादेश संख्या–1614/IV(1)/2009– 39(सामा0)2006–टी0सी0 दिनांक 24.11.2009 के द्वारा मेलाधिकारी, हरिद्वार के निवर्तन पर रखी गयी धनराशि रू0 100.00 करोड़ के सापेक्ष किया जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशा.सं. 849/XXVII(2)/2009 दिनांक 01 जनवरी, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अनूप वधावन)
सचिव।

संख्या : 1712 (1)/IV(1)/2009 तद्दिनांक। 01/01/2010

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा. शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. महालेखाकार (ऑडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. जिलाधिकारी, हरिद्वार/मुजफ्फरनगर।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार।
9. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी.ओ. में इसे शामिल करें।
11. मुख्य संचालक अधिकारी, GVK EMRI, उत्तराखण्ड।
12. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अनूप वधावन)
सचिव।

01/2010